

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 85 / प्र0310-भवन/जोन-1 / 2012-13 दिनांक 10/10/2012

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों से विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राम रोषक राय संरक्षक श्री हर्षित जायसवाल चर्फ छोदू पुत्र श्री राजेश कुमार जायसवाल स्थल नजूल भूखण्ड संख्या-9 (पाट) कर्नलगंज इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक/आवासीय भवन के निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपपत्रिका 2008 में उपपत्रिका संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तितम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C गी शर्तों पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को पारदर्शिक उपभोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया जायेगा।
- स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल का अधिभोग/उपभोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जाय, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- स्थल पर 31 दूध लगाने होंगे तथा दूधों को हरा भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
- सेट बैक हेतु छोड़े गये अधिनियम भाग को अवरोधमुक्त खुला रखना होगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा। Conditions से Material/Substantial विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) के ढालने पहुँचने के नुस्खाभी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना दृश और शीघ्र कला तो पहले ही उसे अपने खर्च से नरममत कराकर पूर्ववत् अवस्था जितसे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1958 (इम्पियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को निर्माणानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवार होने से पूर्व देना होगा तथा छत आरपी का नाम भी देना होगा जिसके विरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणाकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर एक अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(सिमा सिंह)







संयुक्त सचिव/प्र0310-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

Ram Sewak Rai

11.10.12

PROPOSED COMMERCIAL CUM RESIDENTIAL BUILDING
 PLAN OF NAZUL PLOT NO. 9 PART OF HOUSE NO. 745/889
 COLONELGANJ PARGANA & TEHSEEL - SADAR, DIST.
 ALLAHABAD
 SCALE 1:100
 OWNER:-
 HASHT MISWAL (PAPPU)
 S/O SRI RAJESH KUMAR MISWAL (PAPPU)
 CUSTOMER SRI RAM SEWAK PALLI
 SIG. OF OWNER
Handwritten signature: Ram Sewak Pal

It is certified that the building plan has been prepared according
 to Master Plan 2021/ Zonal Plan and Bypass Updatta 2008



- NOTE:-
- LIME CONC. IN FOUNDATION
 - FLOORING OVER R.C.C. SLAB
 - TOTAL PLOT AREA = 115.44 M²
 - COVERED AREA ON G.F. = 46.19 M² 40%
 - COVERED AREA ON F.F. = 46.19 M² 40%
 - COVERED AREA ON S.F. = 46.19 M² 40%
 - OPEN AREA ON G.F. = 69.29 M²
 - MUNITY AREA = 12.42 M²
 - ACHIEVED F.A.R. = 1.20
 - PARKING AREA = 23.00 M²
 - NO. OF CAR PARKING = 1 NOS.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.